ालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना(अलवर)

पीठासीन अधिकारी :— पंकज बडगूजर (आर.ए.एस.)

दावा पत्र संख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
173 / 2020 04.09.2020	28.02.2022	23.08.2023

उनवान

जनार्दनलाल पुत्र श्री शिवनाथ जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम बिरनवास तह0 नीमराना।

—:वादी

बनाम

नेजरंजन लाल पुत्र श्री शिवनाथ जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम बिरनवास तह0 नीमराना।
उप पंजीयक महोदय मॉढ़ण तह0 नीमराना।
लैण्ड होल्डर तहसीलदार नीमराना जिला अलवर।
ाखा प्रबन्धक पंजाब नेशनल बैक शाखा नीमराना।
ाखा प्रबन्धक ओवरसिज बैक शाखा नीमराना।

:—प्रतिवादगण।

दावा इस्तकार हक एवं
तकसीम आराजी व हुक्म ईम्तनाई दवामी

पस्थिति:— 1. श्री मकर ध्वज शर्मा एड0 वादी की ओर से
2.श्री निरंजनलाल प्रतिवादी

—:: निर्णय::—

पेश हुई। दावा के सूक्ष्म वृतांत निम्न प्रकार से है—

ादीगण ने वाद पेश कर निवेदन किया कि आराजी ख0न0 हाल 622 / 0.67,623 / 0. 2 वाके ग्राम बीरनवास वादी व प्रतिवादी संख्या 01 की अविभाजित सहखातेदारी की ाराजी है। ख0न0 622 के 1 / 2 हिस्सा व ख0न0 623 के 28 / 41 हिस्से का ातेदार है तथा शेष हिस्सा प्रतिवादी सं0 01 का है आराजी मुतनाजा का विधिवत रूप तकासमा नही हुआ है प्रतिवादी संख्या 01 तकासमा कराने के लिए तैयार नहीं है। ोर अच्छी से अच्छी भूमि का अपनी बता कर दिगर जगह मुन्तकिल करना चाहता है। सलिए आराजी मुतनाजा में मिन वादी अपने खातेदारी हिस्से का अलग से तकासमा रवा कर अलग खाता बन्दी करवाने का अधिकारी है। इसलिए आराजी विवादित के ुर्रे कायम किए जाकर कुर्रेकायमी रिपॉर्ट के आधार पर अच्छी मे से अच्छी व बुरी मे बुरी भूमि का तकासाम कराया जावे।

त मे वादी ने अपने वाद को निम्न प्रकार डिक्री किए जाने की प्रार्थना कि है:—

क) डिक्री इस्तकरार हक, व तकसीम आराजी इसअमर की जारी कि जावे की हाल ख0न0 622 / 0.67, 623 / 0.82 है0 वाके ग्राम बीरनवास तह0 नीमराना पर कुर्रे कायम िए जाकर कुर्रे रिपॉर्ट के आधार पर अच्छी मे से अच्छी व बुरी मे से बुरी आराजी का कासमा किया जाकर पृथक—पृथक खाते कायम किए जावे व राजस्व नक्शा में तरमबा काटने का आदेश फरमाया जावे। तथा जिस खातेदार के हिस्से पर जिस बैक रहन का अंकन है उसे उसी खातेदार के हिस्से मे आने वाली भूमि पर लगाया जाने ा आदेश फरमाया जावे।

ख) डिक्री हुक्म ईम्तनाइ दवामी जारी कर प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जावे की बतक विवादित आराजी का विधिवत रूप से तकासमा न हो तब तक किसी भी कार से रहन ~~बय~~ व मुतकिंल नहीं करे ना ही कोई बयनामा पजिबद्व करे मौका व रेकॉर्ड ~~की~~ यथास्थिति बनाए रखे।

ग) खर्चा मुकदमा वादी को प्रतिवादीगण से दिलाया जावे।

घ) अन्य अनुतोष जो बनजदीक अदालत श्रीमान हो अता फरमाया जावे ।

दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया बाद तामिल प्रतिवादीगण उपस्थित नही हुए उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर वकील वादी की एक पक्षीय बहस सुनी जाकर दिनांक 28.02.2022 को दावा प्रारम्भिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार नीमराना को मौके पर कुर्रे कायम

किया जाकर कुर्रे कायमी रिपोर्ट भिजवाये जाने हेतु आदेश दिये गये । तहसीलदार नीमराना द्वारा अपने पत्र कमांक भू0अ0/कुर्रे/22/502 दिनांक 28.06.2022 के द्वारा कुर्रे कायमी रिपोर्ट भिजवाई गई । कुर्रे कायमी रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली की गई।

4. आज दिनांक 23.08.2023 को वादी जनार्दन तथा प्रतिवादी निरंजनलाल उपस्थित हुए। वादी के वकील एवं वादी तथा प्रतिवादी ने कुर्रे कायमी रिपोर्ट के आधार पर ही वाद को डिक्री किये जाने की सहमति दी।

5. हमने पत्रावली का एवं कुर्रे कायमी रिपोर्ट का अवलोकन किया पक्षकारान की सहमति के अनुसार कुर्रे कायमी रिपोर्ट के आधार पर वाद डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

6. अतः आदेश है कि:—

वाद वादी तकासमा आराजी बहक वादी कुर्रे कायमी रिपोर्ट के अनुसार डिक्री किया जाकर आदेश दिये जाते है की पक्षकारान के नाम के सम्मुख अंकित आराजी वाके ग्राम बीरनवास निम्नानुसार उनके कब्जे काश्त खातेदारी में रहेगी तथा बैंक भार यथावत रहेगाः—

कसं0	नाम खातेदार	ख0न0	रकबा	वि.वि.
1.	जनार्दनलाल पुत्र शिवनाथ जाति ब्राहम्ण सा0 देह खातेदार	623 मिन, 622 मिन	0.61 0.2850	
2.	निरंजनलाल पुत्र शिवनाथ जाति ब्राहम्ण सा0 देह खातेदार	623 मिन 622 मिन	0.21 0.3850	

उक्तानुसार ही राजस्व रिकार्ड जमाबंदी, ख0गि0 व नक्शा टेश में अमलदरामद किया जाकर पृथक–पृथक खाता व लगान कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदानुसार ही अमलदरामद हो। खर्चा वाद पक्षकारान अपना –अपना वहन करेंगें। पर्चाडिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल लेख भण्डार हो।

यह निर्णय आज दिनांक 23.08.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

23-8-2023

पंकज बडगूजर (आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
पदेन सहायक कलक्टर नीमराना

ायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना(अलवर)

पीठासीन अधिकारी :— पंकज बड़गूजर (आर.ए.एस.)

दावा पत्र संख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
173 / 2020 04.09.2020	28.02.2022	23.08.2023

उनवान

1.जनार्दनलाल पुत्र श्री शिवनाथ जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम बिरनवास तह0 नीमराना।

—वादी

बनाम

1.निजरंजन लाल पुत्र श्री शिवनाथ जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम बिरनवास तह0 नीमराना।
2.उप पंजीयक महोदय मॉढ़ण तह0 नीमराना।
3.लैण्ड होल्डर तहसीलदार नीमराना जिला अलवर।
4.शाखा प्रबन्धक पंजाब नेशनल बैंक शाखा नीमराना।
5.शाखा प्रबन्धक ओवरसिज बैंक शाखा नीमराना।

:—प्रतिवादगण।

दावा इस्तकार हक एवं
तकसीम आराजी व हुक्म ईम्तनाई दवामी

उपस्थितिः— 1. श्री मकर ध्वज शर्मा एड0 वादी की ओर से
2.श्री निरंजनलाल प्रतिवादी

पर्चा—डिक्री

दिनांक 23.08.2023

वाद वादी तकासमा आराजी बहक वादी कुर्रे कायमी रिपोर्ट के अनुसार डिक्री किया जाकर आदेश दिये जाते है की पक्षकारान के नाम के सम्मुख अंकित आराजी वाके ग्राम बीरनवास निम्नानुसार उनके कब्जे काश्त खातेदारी में रहेगी तथा बैंक भार यथावत रहेगा :—

कसं0	नाम खातेदार	ख0न0	रकबा	वि.वि.
1.	जनार्दनलाल पुत्र शिवनाथ जाति ब्राहम्ण सा0 देह खातेदार	623 मिन, 622 मिन	0.61 0.2850	
2.	निरंजनलाल पुत्र शिवनाथ जाति ब्राहम्ण सा0 देह खातेदार	623 मिन 622 मिन	0.21 0.3850	

उक्तानुसार ही राजस्व रिकार्ड जमाबंदी, ख0गि0 व नक्शा टेश में अमलदरामद किया जाकर पृथक—पृथक खाता व लगान कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदानुसार ही अमलदरामद हो। खर्चा वाद पक्षकारान अपना —अपना वहन करेगें। सुनाया गया।

23-08-2023

पंकज बड़गूजर (आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,नीमराना